कार्यालय, प्राचार्य, ठाकुर छेदीलाल शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जांजगीर
जिला जांजगीर–चांपा (छ.ग.)

सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 (1) के प्रावधानों के तहत सत्रह बिन्दुओं की जानकारी

क्र.	विवरण	उत्तर (जानकारी)
1	अपने संगठन की विशिष्टियां, कृत्य और कर्तव्य।	उच्च शिक्षा, कार्यक्षेत्र – जांजगीर, महाविद्यालय का संचालन, उच्च शिक्षा का विस्तार एवं गुणवत्ता सुधार।
2	अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य।	प्राध्यापक/तृत्तीय श्रेणी/चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के द्वारा महाविद्यालयीन कार्यो का निस्पादन।
3	अपने विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित हैं।	आवश्यकतानुसार जिले के अन्य महाविद्यालयों का पर्यवेक्षण, DLQAC के अंतर्गत मिटिंग आदि।
4	अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मापमान।	राज्य शासन द्वारा प्रायोजित नियमो या निर्देशो के अंतर्गत उच्च शिक्षा विभाग के कार्य सम्पादित किये जाते है।
5	अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किए गए नियम, विनियम, अनुदेश और अभिलेख।	अपने या अपने कर्मचारियों के द्वारा शिक्षा संहिता, मूल नियम, छ.ग. सिविल सर्विस, छ.ग. पेन्सन/सामान्य भविष्य निधि आदि नियमों का प्रयोग अपने कृत्यों के निर्वहन हेतु किया जाता है।
6	ऐसे दस्तावेजो की श्रेणी का विवरण जो उनके द्वारा धारित किए गए है अथवा उनके नियत्रंण में है।	इस कार्यालय में लिपिकों के द्वारा महाविद्यालय के कार्यालय एवं विभिन्न विभागों के दस्तावेजों की नस्ती तैयार की जाती है तथा कम्प्यूटरो में जानकारी रखी जाती है।
7	ऐसी व्यवस्था का विवरण, जो उसकी नीति निर्माण अथवा उसके कार्यान्वयन के संबंध में लोक सदस्यों के साथ परामर्श या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान है।	नीति या नियम का निर्धारण राज्य शासन, उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा किया जाता है जिसके तहत लोक सदस्यो के साथ परामर्श या उनके अभ्यावेदनों पर कार्यवाही या निराकरण किया जाता है।

8	बोर्ड, परिषदो, समितियों और अन्य निकायों के विवरण, जिसमें दो अथवा दो से अधिक व्यक्ति हो और जिसकी स्थापना इसके भाग के रूप में अथवा इसकी, सलाह के प्रयोजन के लिए की गई हो, और यह विवरण कि क्या इन बोडों, परिषदों समतियों तथा अन्य निकायों की बैठक लोगों के लिए खुली है, अथवा ऐसी बैठक के कार्यवृत्त लोगों के लिए सुलभ है।	बोर्ड आफ स्ट्डीस, एकेडमिक काउन्सिल एवं अन्य समितियां विश्वविद्यालय स्तर पर कार्यरत है। महाविद्यालयीन कार्यो को सूचारू रूप से संचालित करने के लिए जनभागीदारी समिति का गठन किया जाता है।
9	अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की निदेशिका।	महाविद्यालय के अंतर्गत प्राध्यापक/तृतीय श्रेणी/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के आवकाश प्रकरण, प्राध्यापको और कार्मचारियो के शिकायतो पर कार्यवाही, आवश्यकतानुसार महाविद्यालयों का निरिक्षण, जिलास्तर पर उच्च शिक्षा की व्यवस्था एवं सुधार के लिए प्रायस, परीक्षा सांचालन हेतु व्यवस्था करना आदि।
10	अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा विनियमों में यथा उपलब्ध क्षतिपूर्ति की प्रणाली सहित प्राप्त किया गया मासिक पारिश्रमिक।	निरंक
11	सभी योजनाओ, प्रस्तावित परिव्यय और किए गए आहरणों संबंधी रिपोर्ट सामग्री को दर्शाते हुए इसके अभिकरण को आबंटित बजट।	विभागीय योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त आबंटन एवं व्यय नियमानुसार किया जाता है तथा जानकारी वरिष्ठ कार्यालय को प्रेषित की जाती है।
12	आबंटित राशि सहित सब्सिडी कार्यक्रमों के निष्पादन का ढंग और ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों का ब्यौरा।	आंबटित राशि यू जी सी की योजना के अंतर्गत, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अंतर्गत, राज्य शासन प्रदत्त। इन राशियों का उपयोग मूलभूत ढाचा निर्माण एवं विभिन्न शैक्षणिक सेमीनार एवं कार्यशालायों में किया जाता है। इनका पुरा ब्यौरा यू जी सी एवं उच्च शिक्षा विभाग, राज्य शासन को भेजा जाता है। इन कार्यक्रमों के लाभार्थी विद्यार्थी एवं शिक्षकगण होते हैं।
13	अपने द्वारा मंजूर की गई रियायत, अनुज्ञा पत्र या प्राधिकारी के प्राप्तकर्त्ताओं का विवरण।	निरंक

14	अपने पास इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध अथवा धारित की गई सूचना के संबंध में ब्यौरा।	महाविद्यालय कार्यालय में कार्यों के सम्पादन हेतु उपलब्ध अथवा धारित की गई सूचना सांफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी के रूप में संग्रहित है।
15	सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिको को उपलब्ध सुविधाओं के ब्यौरे, जिनमें जनसाधारण के लिए पुस्तकालय या वाचन–कक्ष के ब्यौरे भी सम्मिलित हो।	सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों का निराकरण नियमानुसार किया जाता है। महाविद्यालय का पुस्तकालय, वाचन कक्ष, ई–लाइब्रेरी विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है।
16	लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियां।	डॉ. संतोष कुमार अग्रवाल, प्राचार्य, ठाकुर छेदीलाल शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जांजगीर (छ.ग.)
17	अन्य उपयोगी जानकारियां।	निरंक।

प्राचार्य
(जनसूचना अधिकारी)
ठाकुर छेदीलाल शासकीय स्नातकोत्तर,
महाविद्यालय जांजगीर (छ.ग.)